

पत्रांक 10/नम-16/2002मसो-702

विहार सरकार,
मानव संसाधन विभाग, कलमूर।

प्रति,

श्री कमलेश्वर झा
सरकार के अपर सचिव।

साथ में,

सचिव,
सिन्धु वॉर्ड ऑफ सैकेंड्री स्कूल, नमूना,
विहार केन्द्र, कलमूर, सीता विहार,
विहार मण्डल, नई दिल्ली-110092

बटन, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

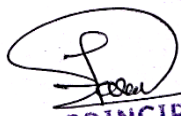
विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सिन्धु वॉर्ड ऑफ सैकेंड्री स्कूल, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय को और अधिक ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि 29-0-05 को निजी विद्यालयों को अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम किए जाने के संबंध में उप्युक्तरीय समिति की बैठक में तत्कालीन तत्त्वों से लिए गए निर्णय के आशय में निम्नलिखित निजी विद्यालयों को सीओसीएसओ, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम करने का निर्णय लिया गया:-

1. विभिन्न सैकेंड्री स्कूल, गांधी चौक मधुबनी
अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम करने का निर्णय लिया गया।
2. डीओसीओ पब्लिक स्कूल, रतवार, झुआ झुआ
अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम करने का निर्णय लिया गया।
3. डीओसीओ पब्लिक स्कूल, अमरगढ़, अमरगढ़ टाउन हाथी रोड, जमुना
अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम करने का निर्णय लिया गया।
4. डीओसीओ स्कूल, सीओसीओ पब्लिक दरभंगा।
इस शर्त पर अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सीओसीओ वॉर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में जरूरी तीन अप्रतिष्ठित शिक्षक प्रतिष्ठित हो जायेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके स्थान पर प्रतिष्ठित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायेगी।
5. दरभंगा: सिन्धु स्कूल, कलमूर
अनिवार्य प्रमाण-पत्र निर्गम करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि विद्यालय सीओसीओ वॉर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व अपने संबंधी शर्त पूरा कर लेगा।

सीओसीओ


PRINCIPAL
D.A.V. PUBLICSCHOOL
Ratwar, Mohania
Kaimur (Bihar) 821100

6. अध्यापक कल्याण, टटवान रोड,
बोड, पटना

उक्त वार्षिक पर अवसर्गित प्रमाण-पत्र निमित्त
करने का निर्णय किया गया कि विद्यार्थी
द्वारा सी.बी.एस.सी. बोर्ड से सम्बन्धित प्रमाण
करने के पूर्व विद्यार्थी में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक
विशेष प्रशिक्षित हो जायेंगे अथवा उनके स्थान
पर प्रशिक्षित शिक्षक को नियुक्ति कर
लगाया ।

7- मानव विद्यार्थी उच्चविद्यालय रोड
बोड, पटना

अवसर्गित प्रमाण-पत्र निमित्त करने का निर्णय
उक्त वार्षिक पर किया गया कि विद्यार्थी सी.बी.एस.सी.
बोर्ड से सम्बन्धित प्रमाण करने के पूर्व
भवन संबंधी वार्षिक गुरु कर लेना तथा विद्यार्थी
के अप्रशिक्षित शिक्षक को प्रशिक्षित कर लेना
अथवा उनके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षक को
नियुक्ति कर लेना ।

8- विद्यार्थी कल्याण रोड, पटना
रोड, बल्लभपुर, बिहार

अवसर्गित प्रमाण-पत्र निमित्त करने का निर्णय
उक्त वार्षिक पर किया गया कि नियुक्ति मापदंड
के आधार पर बिहार में भवन निमित्त कर अथवा
बिहार में ही नियुक्ति मापदंड के अनुरूप बीच
पर भवन के विद्यार्थी नियुक्ति करने पर प्रारम्भ
कर दें तथा विद्यार्थी के अप्रशिक्षित शिक्षक को
प्रशिक्षित कर दें अथवा उनके स्थान पर प्रशिक्षित
शिक्षक को नियुक्ति कर लें ।

विद्यार्थी

हस्ताक्षर
सरकार के अपर सचिव ।

कृपया

702 : पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

प्रतिनिधि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यार्थी के प्रचार्य को सूचनाएं एवं
अवसर्गित कार्यार्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम
एक साल बाद विद्यार्थी का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यार्थी का निमित्त अवसर्गित प्रमाण-पत्र निरस्त/
वापस करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी के शिक्षक/विश्वविद्यालय कर्मियों को राज्य सरकार
के विद्यार्थी के कर्मियों के समकक्ष भवन एवं भूत आदि का भुगतान नहीं किया
जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विम्वय किया जा रहा है;

कृपया: गु-3।


PRINCIPAL
D.A.V. PUBLICSCHOOL
Ratwar, Mohania
Kaimur (Bihar) 821109

-3-

1. अनायास प्रमोशन-पत्र के लिए तबवित्त कागज त सर्व अभिमत जाती जाए जाने अथवा भारतीय स्थिति से भिन्न होने पर ।
2. विद्यार्थी में वित्तीय अनिश्चितता की जा रही है अथवा जिस मद के लिए राशि की व्ययस्थ है उसे दूसरे मद में व्यय किया जा रहा है ।
3. विद्यार्थी से वित्तविधि में तंगन है जो राज्य के वित्त सर्व राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध है एवं इसी के लिए ही जा रही है जिसमें राज्य में विभिन्न तालाबों के बीच बहुत पैदा है ।
4. सीवीएससी मॉडल के अनुसार अथवा सीवीएससी मॉडल के अनुसार विद्यार्थी की तबवित्त नियमित नहीं किए जाने पर ।

संभव है
सरकार के अग्र साक्षि ।

क्रमांक 702 गटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005
प्रतिनिधि साक्षि/निदेशक माध्यमिक विद्यालय/निदेशक माध्यमिक विद्यालय/अग्र साक्षि/मिथुन के प्रभारी उप विद्या निदेशक माध्यमिक विद्यालय, मानव साक्षि विद्यालय विभाग के सुवर्ण प्रुति ।

सरकार के अग्र साक्षि ।

क्रमांक 702 मुक्त, दिनांक 22-10-05
प्रतिनिधि मुख्य साक्षि, विद्यालय, गटना के साक्षि के सुवर्ण प्रुति ।

सरकार के अग्र साक्षि ।

PRINCIPAL
D.A.V. PUBLICSCHOOL
Ratwar, Mohanla
Kaimur (Bihar) 821109